न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 52 / 2019

शीर्षक

1. रामजीलाल पुत्र हनुमान
2. दीपक पुत्र हनुमान
3. नाथू पुत्र गेन्दा
4. हीरा पुत्र गेन्दा

समस्त जाति धोबी निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी जगमाल
2. सरवेश पत्नी मोहनलाल
3. प्रेम देवी पत्नी शंकरलाल
   समस्त जाति खटीक निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. मोहन पुत्र गुल्लाराम
5. कालूराम पुत्र गुल्लाराम
6. पूरणमल पुत्र गुल्लाराम
7. श्रीमती भंवर देवी बेवा गुल्लाराम (नाम हजफ आदेश दिनांक 08.06.2015)
   समस्त जाति धोबी निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
8. श्रीमती गीता देवी पुत्री गुल्लाराम पत्नी जगदीश जाति धोबी निवासी थानागाजी
   राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

<u>संशोधित दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 15-9-2022

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 7869 रकबा 0.32 है0 7870 रकबा 0.19 है0 7871 रकबा 0.24 है0, 7872 रकबा 0.33 है0 7877 / 84 57 रकबा 0.05, 7878 / 8468 रकबा 0.06 है0 कुल किता 6 रकबा 1.19 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

2. उक्त जिमन नम्बर 1 में वर्णित भूमि वादी संख्या 1, 2 का हिस्सा 1/3 वादीगण संख्या 3 , 4 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका लगान राजमे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 राज. की मांग के अनुसार जमा कराते आ रहे है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 के पूर्व हमारे पूर्वज उक्त भूमि की बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त रहकर काश्त करते आ रहे है एवं तदनुसार मांग पर लगान राज में जमा कराते आ रहे है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 ने वादीगण की बिना जानकारी में लाये ही उक्त जिमन नम्बर 1 में वर्णित भूमि मे से अपना हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को विक्रय कर दिया है जिसका राजस्व रिकार्ड में गलत रूप में अमल किया गया है।
4. केता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के स्थान पर अभी तक कोई कब्जाकाश्त नही है एवं गत खरीफ की फसल वादीगण के साथ प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 ने की थी एवं इसके बाद में एवं भूमि मुतदाविया माह अक्टूबर 2006 में बारानी सुखी बिना बिती काश्त के मौके पर पडी है। केतागण का भूमि मुतदाविया पर किसी प्रकार का कब्जा नही है केतागण अजनबी है के भूमि मुतदाविया में कब्जा प्रवेश बिना बंटवारा कराये नही कर सकते है।
5. उक्त जिमन नम्बर 1 में वर्णित भूमि के हर इंच पर वादीगण का कब्जा है तथा हर इंच पर प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विक्रय किया है जो कि अजनबी केतागण होने के कारण वादीगण के साथ बिना बंटवारा कराये कब्जे में नही ली जा सकती है।
6. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने वादीगण को दिनांक 25.04.2007 को एलानियां धमकी दी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 महिला अवश्य है परन्तु वे अपने पतियो के सहयोग से भूमि मुतदाविया पर ताकत के बल पर वर्षात हो रही है तुरन्त कब्जा करेगी तथा वादीगण के खिलाफ झूठे मुकदमें लगाकर उन्हे हवालात में बंद करवायेगी जिससे वे अपनी मनमर्जी से भूमि के पूरे भाग पर कब्जा करवाखत करेगी व बिना कोई बंटवारा कराये सम्पूर्ण भूमि को अपने उपयोग मे लेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

7. वादीगण को यह अधिकार है कि वे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 उक्त जिमन संख्या 1 में वर्णित भूमि का विधिक रूप से बंटवारा करवाने से पूर्व प्रवेश नही कर अवैधरूप से कब्जा नही करे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा कराये।

8. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं उसके खूंखार किस्म के एवं खतरनाक किस्म के भूमाफिया व्यक्तियां है जिन्होने ग्राम शिवपुरी में अपने नाजायज कारनामों से अनेक गरीब खातेदार काश्तकार किसानों को उनकी भूमि से महरूम कर दिया है तथा उनसे स्वयं ने भी अधिक खतरनाक लोगों को उन गरीब किसानों की भूमि को गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाकर कब्जे करवा दिये है एवं करवा रहे है उसी भांति वादीगण को भूमि मुतदाविया में घुसकर प्रवेश कर परेशान करने पर आमदा है।

9. दिनांक 25.04.2007 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कब्जा करने एवं वादीगण को बेदखल करने की एलानियां धमकी देने से दिनांक 25.04.2007 को वाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 7869 रकबा 0.32 है0 7870 रकबा 0.19 है0 7871 रकबा 0.24 है0, 7872 रकबा 0.33 है0 7877/84 57 रकबा 0.05, 7878/8468 रकबा 0.06 है0 कुल किता 6 रकबा 1.19 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का नियमानुसार विधि अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये। दिनांक 08.06.2015 को प्रतिवादी संख्या 7 का नाम हजफ किया गया। दिनांक 15.02.2016 को वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया। दिनांक 30.05.2016 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 01.04.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात प्राप्त हुये बटवारा रिर्पोट पर वकील वादी द्वारा आपत्ति पेश की गई वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना आपत्ति कुर्रेजात का जवाब पेश किया आपत्ति कुर्रेजात पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील वादी ने प्रार्थना आपत्ति कुर्रेजात के संबंध में निवेदन किया कि बंटवारा रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नही की गई है वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 2/3 भाग के वादीगण शेष 1/3 भाग के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को विक्रेता खातेदार काश्तकार काबिज काश्त थे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 से क्रेय की है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 में सडक से दूर हिस्सा खरीदा है सडक से लगती हुई सम्पूर्ण भूमि वादीगण के हिस्से की है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बंटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः बटवारा रिपोर्ट मंगवाई जावे। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट बंटवारा के संबंध में निवेदन किया कि बंटवारा रिपोर्ट जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त व राजस्व मण्डल के नियमों के अनुसार तैयार कर पेश की है। आराजी खसरा नम्बर जिसके साबिक खसरा नम्बर 4651, 4653 ग्राम मनोहरपुर के खातेदारान गुल्ला, हनुमान, गेन्दा पि0 पांचू के मध्य आपसी रजामंदी व सहमति से मौके पर सन् 1970 में बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता गुल्ला के पिता साबिक खसरा नम्बर 4651 में जिसके हाल खसरा नम्बर 7879/0.32 है0, 7870/0.19 है0 हिस्से व कब्जे में आई, गुल्ला ने अपने हिस्से व कब्जे की भूमि जो रास्ते के साथ थी तदसमय गुल्ला व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पूर्वज गंगाराम काबिज रहकर काश्त करते थे मृतक गुल्ला ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज मृतक गंगाराम से दिनांक 16.11.1972 को जरिये लिखावट विक्रय मुल्य 1150 रूपये नकद प्राप्त कर स्टाम्प पर लिखवाई थी जिस पर प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा सडक से दूर/हिस्सा नही खरीदा है बल्कि पूर्व से ही कब्जे व अधिकार में चली आ रही है। वादीगण को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट में सडक से लगती हुई भूमि दी है। बंटवारा रिपोर्ट नियमानुसार मौके पर कब्जे व अधिकार के अनुसार वादीगण की जानकारी में बनाई गई है। वादीगण ने केवल मात्र देरी ना करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट मे वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो पक्षो को रोड से लगती हुई भूमि दी गई है। जिससे साफ जाहिर होता है वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरी करने की गरज से पेश किया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात सही पेश किये गये है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 7869 रकबा 0.32 है0 7870 रकबा 0.19 है0 7871 रकबा 0.24 है0, 7872 रकबा 0.33 है0 7877/84 57 रकबा 0.05, 7878/8468 रकबा 0.06 है0 कुल किता 6 रकबा 1.19 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 52/2019

शीर्षक

1. रामजीलाल पुत्र हनुमान
2. दीपक पुत्र हनुमान
3. नाथू पुत्र गेन्दा
4. हीरा पुत्र गेन्दा

समस्त जाति धोबी निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी जगमाल
2. सरवेश पत्नी मोहनलाल
3. प्रेम देवी पत्नी शंकरलाल

समस्त जाति खटीक निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

4. मोहन पुत्र गुल्लाराम
5. कालूराम पुत्र गुल्लाराम
6. पूरणमल पुत्र गुल्लाराम
7. श्रीमती भंवर देवी बेवा गुल्लाराम (नाम हजफ आदेश दिनांक 08.06.2015)

समस्त जाति धोबी निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

8. श्रीमती गीता देवी पुत्री गुल्लाराम पत्नी जगदीश जाति धोबी निवासी थानागाजी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

संशोधित दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15-9-2022

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 7869 रकबा 0.32 है0 7870 रकबा 0.19 है0 7871 रकबा 0.24 है0, 7872 रकबा 0.33 है0 7877/84 57 रकबा 0.05, 7878/8468 रकबा 0.06 है0 कुल किता 6 रकबा 1.19 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. दीपक, रामजीलाल पि0 हनुमान हिस्सा 1/2 , नाथू, हीरा पि0 गेन्दा हिस्सा 1/2 सा.देह के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 7869/1 रकबा 0.08, 7870 रकबा 0.19, 7871 रकबा 0.24, 7872/1 रकबा 0.1734, 7877/8467 रकबा 0.05, 7878/8468 रकबा 0.06 कुल किता 6 रकबा 0.7934 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

1. दीपक, रामजीलाल पि0 हनुमान हिस्सा 1/2 , नाथू, हीरा पि0 गेन्दा हिस्सा 1/2 सा.देह के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 7869/1 रकबा 0.08; 7870 रकबा 0.19, 7871 रकबा 0.24, 7872/1 रकबा 0.1734, 7877/8467 रकबा 0.05, 7878/8468 रकबा 0.06 कुल किता 6 रकबा 0.7934 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. प्रेम देवी पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/3 , परवेश देवी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 1/3, रामेश्वरी देवी पत्नी जगमाल हिस्सा 1/3 के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 7869/2 रकबा 0.2400, 7872/2 रकबा 0.1566 कुल किता 2 रकबा 0.3966 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक ......15-9-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा, जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

4. प्रेम देवी पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/3 , परवेश देवी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 1/3, रामेश्वरी देवी पत्नी जगमाल हिस्सा 1/3 के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 7869/2 रकबा 0.2400, 7872/2 रकबा 0.1566 कुल किता 2 रकबा 0.3966 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक ....15-9-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. ाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते